न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

गैर राम बगै० बनाम बुन्नी देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	मु० नं० – 605/2017
26.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– बुर्जा की ढ़ाणी के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 2012 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 की ओर से दिनांक 16.11.2012 को जवाब टी.आई. पेश हो चूकी है। प्रकरण में अप्रार्थी नम्बर 6 व 7 की ओर से उपस्थित नायब तहसीलदार अजीतगढ़ ने औपचारिक पक्षकार होने बाबत अवगत कराया। प्रकरण दिनांक 08.10.2013 से अन्तिम बहस में विचाराधीन चल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण का मूल वाद पत्र के निस्तारण तक निर्णय किया जाना उचित समझती हूँ। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2012 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 863, 864, 866 से 869, 2295 कुल किता 7 कुल रकबा 4.55 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर को मूल वाद पत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–बुर्जा की ढ़ाणी के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (मीनाक्षी मीणा) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–बुर्जा की ढ़ाणी

Scanned by CamScanner